न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)
बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

मुकदमा सं. 16/2012

प्रार्थी

सरकार जरिए कृषि अधिकारी कार्यालय उप निदेशक, कृषि विस्तार जिला परिषद सिरोही।

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री श्रवण कुमार पुत्र श्री उमरावमलजी अग्रवाल पटेल गली सरूपगंज जिला सिरोही।
2. अग्रवाल खाद बीज भण्डार पटेल गली, सरूपगंज जिला सिरोही।

प्रकरण अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. सहायक लोक अभियोजन अधिकारी प्रथम, सिरोही
2. अप्रार्थी स्वयं अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक 10.11.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 15.12.2011 को कार्यालय जिला कलक्टर सिरोही से दूरभाष पर सूचना मिलने पर प्रार्थी कृषि अधिकारी (पो.स.) कार्यालय उपनिदेशक कृषि विस्तार जिला परिषद सिरोही एवं उपनिदेशक कृषि सिरोही पुलिस थाना रोहिडा पहुंचे, जहां पर वाहन संख्या आरजे 24 जीए 0390 में यूरिया नीम कोटेड कट्टे लोट नं. 12/11 के 55 कट्टे भरे हुए पाये जाने पर अप्रार्थी के कोई संतोषजनक उत्तर नही देने पर एवं बिना परमिट के होने पर कब्जे सरकार लिए जाकर सीज किए गए एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत समयपहरण (confiscate) करने हेतु यह प्रकरण पेश किया गया है ।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया जिस पर अप्रार्थी स्वयं ने उपस्थिति दी गई एवं जवाब पेश किया गया, जो शामिल मिसल किया गया लेकिन बहस के लिए निर्धारित तिथि को अप्रार्थी उपस्थित नहीं हुआ।

सरकार की ओर से सहायक लोक अभियोजन अधिकारी प्रथम सिरोही द्वारा निवेदन किया गया कि दिनांक 15.12.2011 को कार्यालय जिला कलक्टर सिरोही से दूरभाष पर सूचना मिलने पर प्रार्थी कृषि अधिकारी (पो.स.) कार्यालय उपनिदेशक कृषि विस्तार जिला परिषद सिरोही एवं उपनिदेशक निदेशक कृषि सिरोही पुलिस थाना रोहिडा पहुंचे, जहां पर [illegible] 0390 खडा पाया। वाहन के ड्राईवर श्री आसीनखां पुत्र श्री नूर मोहम्म[illegible] सरूपगंज से वाहन में भरे नीम कोटेड यूरिया के कट्टे [illegible] के बारे में पूछताछ करने पर 56 कट्टे वालोरिया कृषक[illegible] नाम से बिल [illegible] एवं बिल के अनुसार 56 कट्टे होने चाहिए थे जबकि भौ[illegible] दौरान 55 कट्टे ही पाए गए, [illegible] फर्टीलाईजर एण्ड केमीकल[illegible] निर्मित थे। [illegible] को देखने पर केश बिल [illegible] तथा यूरिया के कट्टो की संख्या बिल के अनुसार एक कम पाई गई व बिल पर किसानों के हस्ताक्षर के अभाव में उक्त यूरिया कालाबाजारी करने के आधार पर होने से प्रार्थी

जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2022.01.17 16:17:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

द्वारा उक्त 55 नीम कोटेड यूरिया के कट्टों को कब्जे सरकार लिया गया एवं न्यायालय द्वारा अंतरिम निस्तारण के आदेश होने पर अन्तरिम निस्तारण किया जाकर प्राप्त राशि बतौर अमानत राजकोष मे जमा हो चुकी है, उसे समयपहरण (confiscate) करने के आदेश प्रदान करावे ।

अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया लेकिन बहस हेतु निर्धारित तिथि एवं समय पर अप्रार्थी उपस्थित नहीं हुआ। अप्रार्थी ने अपने जवाब में यह अंकित किया है कि अप्रार्थी एक लाईसेंस होल्डर डीलर है एवं कम्पनी से यूरिया खाद लाकर काश्तकारों को वितरण करता है। दिनांक 15.12.2011 को अप्रार्थी की दुकान से बिल नम्बर 209–2012 एवं 214 द्वारा वालोरिया के काश्तकारों को देने हेतु एक जीप में 55 कट्टे भर कर रवाना किए थे, जिसे रास्ते में पुलिस एवं प्रार्थी द्वारा अकारण पकडा गया है। यह है कि अप्रार्थी के विरूद्ध किसी भी तरह को कोई भी फौजदारी मुकदमा विचाराधीन नहीं है एवं न ही कोई मुकदमा कभी दायर हुआ या न्यायालय द्वारा मुझे दोषी करार भी नहीं दिया गया है। अतः उक्त जब्तशुदा माल मेरे स्वयं का मालिकी का होने से उसे लौटाए जाने के आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थी पक्ष की सुनी गई बहस एवं अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो मै इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि दिनांक 15.12.2011 को कार्यालय जिला कलक्टर सिरोही से दूरभाष पर सूचना मिलने पर प्रार्थी कृषि अधिकारी (पो.स.) कार्यालय उपनिदेशक कृषि विस्तार जिला परिषद सिरोही एवं उपनिदेशक कृषि सिरोही पुलिस थाना रोहिडा पहुंचे, जहां पर वाहन संख्या आरजे 24 जीए 0390 खडा पाया। वाहन के ड्राईवर श्री आसीनखां पुत्र श्री नूर मोहम्मद निवासी सरूपगंज से वाहन में भरे नीम कोटेड यूरिया के कट्टे लोट नं. 12/11 के 55 कट्टों के बारे में पूछताछ करने पर 56 कट्टे वालोरिया कृषकों के नाम से बिल बताए एवं बिल के अनुसार 56 कट्टे होने चाहिए थे जबकि भौतिक सत्यापन के दौरान 55 कट्टे ही पाए गए, जो चम्बल फर्टीलाईजर एण्ड केमीकल्स द्वारा निर्मित थे। बिल को देखने पर केश बिल पाए तथा यूरिया के कट्टो की संख्या बिल के अनुसार एक कम पाई गई व बिल पर किसानों के हस्ताक्षर के अभाव में उक्त यूरिया कालाबाजारी करने के आधार पर होने से उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध होने से प्रार्थी द्वारा उक्त नीम कोटेड यूरिया के 55 कट्टो को कब्जे सरकार लिये जाकर सीज किये एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत समयपहरण (confiscate) करने हेतु यह प्रकरण पेश किया गया था । अप्रार्थी ने अपने जवाब में यह अंकित किया हे कि कि अप्रार्थी द्वारा उक्त यूरिया के कट्टों को वालोरिया के किसानों की सहायता के लिए वाहन में भरकर ले जा रहा था परन्तु मौके पर मिले बिलों पर किसी भी किसानों के हस्ताक्षर नहीं थे, जो उनके मालिकी का होने पर संदेह पैदा करता है। यह है कि मौके पर 56 कट्टो के बिल थे परन्तु दौराने भौतिक सत्यापन वाहन में 55 कट्टे ही थे, इस संबंध में अप्रार्थी ने अपना कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है। अप्रार्थी से किसी भी प्रकार का [illegible] अप्रार्थी द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब दिया गया, जिससे अप्रार्थी द्वारा उर्वरक [illegible] आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का उल्लंघन [illegible] है।

अतः ऐसी स्थिति [illegible] स्वीकार किया जाकर कब्जे सरकार लिये गये नीम कोटेड [illegible] 11 के 55 कट्टों को समयपहरण (confiscate) करने के आदेश दिये जाते है ।

जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2022.01.17 16:17:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

चूंकि अन्तरिम निस्तारण द्वारा कब्जे सरकार लिये गये नीम कोटेड यूरिया लोट नं. 12/11 के 55 कट्टों को अधिकृत लाईसेंस होल्डर विकेता के मार्फत उप निदेशक कृषि विस्तार, सिरोही द्वारा वितरण करवाया जाकर प्राप्त राशि रूपये 16,280/– दिनांक 26.04.2012 के द्वारा राजकोष मे अमानत मद मे जमा कराई गई है जिसे उचित लेखामद में जमा करवाने की कार्यवाही जिला रसद अधिकारी, सिरोही एवं उप निदेशक, कृषि विस्तार, सिरोही अपने स्तर पर करे ।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2022.01.17 16:17:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner